ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती बन्दना चौधरी	4/2013 से 22.1.2016
2	श्रीमती शशि बाला	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बीन सिंह	4/13 से 14.8.13
2	श्री मनदीप ठडवाल	14.8.13 से 21.9.13
3	श्री सन्तोष कुमार	21.9.13 से 28.7.15
4	श्री मनदीप ठडवाल	28.7.15 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताएँः–

ग्राम पंचायत कुरल के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
2	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.36
3	7	अनुदानों का उपयोग न करना	12.91
4	8	बिना वाउचर भुगतान बारे	0.49
5	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	1.18
6	10	माप पुस्तिकाओं के रख रखाव बारे	–

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.16 से 23.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	1/2014
2014–15	3/2015	12/2014
2015–16	3/2016	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत/अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 23.11.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत कुरल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	16108	43424	59532	19948	39584
2014–15	39584	53923	93507	17149	76358
2015–16	76358	44018	120376	66285	54091

(ख) अनुदानः–

ग्राम पंचायत कुरल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण, संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	259962.50	1487933.00	1747895.50	1357348.00	390547.50
2014–15	390547.50	1919564.50	2310112.00	1674926.50	635185.50
2015–16	635185.50	2861883.00	3497068.50	2205958.00	1291110.50

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

(i)	स्व स्त्रोत रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	54091.00
(ii)	अनुदान रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	1291110.50
	कुल योग	**₹1345201.50**
	विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि का विवरण	
(i)	खाता संख्या 20049014995 (KCCB-Dheera)	1255872.50
(ii)	खाता संख्या 50056172621 (KCCB-Dheera)	88813.00
(iii)	खाता संख्या 56427650 (KCCB-Dheera)	516.00
	कुल योग	**₹1345201.50**
	अन्तर	**शून्य**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राकलन (अनुमान) तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म 11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः

बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ग्राम पंचायत कुरल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व ₹36350 निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

1 (क) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	14775	14775	14775	–
2014–15	–	16350	16350	16350	–
2015–16	–	16350	16350	–	16350

(ख) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	8000	4000	12000	–	12000
2014–15	12000	4000	16000	–	16000
2015–16	16000	4000	20000	–	20000

अतः गृहकर व मोबाईल टावरों की क्रमशः ₹16350 व ₹20000 कुल ₹36350 के राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹12.91 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1291110 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 वाउचर न बनाकर सीधे भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पशु सहायक, जल रक्षक, चौकीदार, सिलाई अध्यापिका तथा पंचायत सदस्यों को सीधे तौर पर वेतनावलि (ECR) में प्रविष्टि करके

मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा इसके कोई वाउचर नहीं बनाया गया है, जिसके कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	भुगतान की विवरण	अवधि	राशि	वेतनावलि पृ0सं0
1	श्रीमती रीता चौधरी	पशु सहायिका	चैक सं0 65661 दिनांक 2.1.14	9/13 से 10/13 5000 प्रतिमाह	10000	81
2	श्रीमती रीता चौधरी	पशु सहायिका	चैक सं0 68115 दिनांक 5.12.14	7/14 से 10/14 5000 प्रतिमाह	20000	81
3	श्री राज कुमार	चौकीदार	चैक संख्या 69342 दिनांक 30.3.15	11/14 से 2/15 2000 प्रतिमाह	8000	35
4	श्री राज कुमार	चौकीदार	चैक संख्या 0905073 दिनांक 9.6.15	3/15 से 5/15 2000 प्रतिमाह	6000	38
5	श्रीमती इंदिरा कुमारी	सिलाई अध्यापिका	चैक संख्या 64275 दिनांक 29.10.13	10/13 से 12/13 1600 प्रतिमाह	4800	76

अतः उपरोक्त प्रकार से किया गया भुगतान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखे, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के विरूद्ध है। अतः भविष्य में वाउचर भी तैयार कर इस प्रकार के दावों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹118079 की सामग्री का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर व निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 माप पुस्तिकाओं के रख रखाव बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये विकासात्मक कार्यों का लेखा करने के लिए नियम 101 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा रखी गई माप पुस्तिकाओं में दर्ज विकासात्मक कार्यों को कनिष्ठ अभियन्ता से कभी भी प्रति हस्ताक्षरित नहीं कराया गया है, जोकि नियम 101 (C) के विरूद्ध है। अतः सभी माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित करते हुए भविष्य में नियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

13 निष्कर्षः– लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 76/2016–खण्ड–1–2318–2321 दिनाँकः 21.04.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कुरल, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881